तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज तुलसाराम चौधरी, 36–ए, जनता कॉलोनी, जिला–पाली (राज.) 306401 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 73/2022 जीसीएमएस नं. :– 2022/290 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

—: निर्णय :—

23.06.22

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 13.04.2022 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./(6)(3)/146/2022/1028 दिनांक 23.06.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, पाली से संबंधित होने के कारण आरटीआई की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्रांक 643 दिनांक 22.04.2022 के निर्धारित समयावधि में हस्तांतरण करते हुए वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है। इस पर उपखण्ड अधिकारी पाली ने अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार पाली से संबंधित होने से अपने पत्रांक/लो.सू.अ./2022/297 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा तहसीलदार, पाली को अंतरित किया। तहसीलदार पाली ने अपने पत्रांक/आरटीआई/2022/717 दिनांक 23.06.2022 के अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाते हुए इस कार्यालय को भी इस संबंध में उक्त पत्र की पृष्ठांकित प्रतिलिपि दी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, पाली को निर्धारित समयावधि में स्थानान्तरित कर दिया। इस पर उपखण्ड अधिकारी, पाली ने अपीलार्थी को आवेदन पत्र में वांछित सूचना तहसीलदार पाली से संबंधित होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित करने पर तहसीलदार, पाली ने जरिये पत्रांक/आरटीआई/2022/717 दिनांक 23.06.2022 के अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली